न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 17/2008 (2008/00050) दायर दिनांक 06.05.2008

अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. श्रीमती आशा देवी पत्नि स्व0 श्री शैलेन्द्र कुमार रांका निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल सिंधी कॉलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. श्रीमती अंजू पुत्री स्व0 श्री शैलेन्द्र कुमार रांका पत्नि स्व0 ललीत पोखरणा साकिन राशमी तहसील कपासन हाल गौशाला रोड़, गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. श्रीमती अल्का पुत्री स्व0 श्री शैलेन्द्र कुमार रांका पत्नि श्री कमल कुमार जैन साकिन जावद (एम0पी0) हाल मकान नं0 95 शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
4. श्री यशवन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री शैलेन्द्र कुमार रांका निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल सिंधी कॉलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. श्री चन्द्रप्रकाश रांका पुत्र स्व0 श्री शैलेन्द्र कुमार रांका निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल सिंधी कॉलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6. श्रीमती प्रभा पुत्री स्व0 श्री शैलेन्द्र कुमार रांका पत्नि योगेश चौपड़ा साकिन बापूनगर सेंती चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. ननूराम पुत्र रामकिशन माली निवासी मेलोनी, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. मोतीलाल पुत्र रामकिशन माली निवासी मेलोनी, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. नंदकिशोर पुत्र रामकिशन माली निवासी मेलोनी, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. प्रहलादराय पुत्र रामकिशन माली निवासी मेलोनी, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. शुभकरण पुत्र रामकिशन माली निवासी मेलोनी, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6. श्रीमती शांता बाई पुत्री रामकिशन माली निवासी मेलोनी, गंगापुर हाल पत्नि पन्नालाल सांखला निवासी पुरानी चुगी चौकी, मसूदा रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राजस्थान)
7. श्रीमती नर्वदा बाई पुत्री रामकिशन माली निवासी मेलोनी, गंगापुर हाल पत्नि सत्यनारायण सांखला निवासी पुरानी चुगी चौकी मसूदा रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राजस्थान)
8. श्रीमती घीसी बाई पत्नि रामकिशन माली [illegible] मेलोनी, गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9. राजस्थान राज्य जरिये [illegible] (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:43 IST
Reason: SelfAttested

––अप्रार्थीगण

1.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 17 / 2008 (2008 / 00050)
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थीगण: श्री मदनलाल जीनगर
श्री गोपाल वैष्णव
अधिवक्ता विपक्षीगण: श्री महेश दाधीच (विपक्षी सं0 2, 4, 8)
पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 04.09.2020

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का मैलोनी खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नं 2664 / 3 मिन रकबा 11 बिस्वा वाके हल्का मेलोनी ग्राम गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीगण के मौरूस श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूरालाल रांका के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक हकूक से दर्ज थी, जिसके हाल आरजी नं0 2744 रकबा 0.1000 हे0 कायम किये गये जिसपर प्रार्थीगण अपने मौरूस समय से ही पीढ़ी दर पीढी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण की मौरूसी एवं पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण के वली श्री शैलेन्द्र कुगार पिता भूरालाल रांका (जैन) ने श्री इन्दरमल पिता कस्तूरचन्द महाजन निवासी पुर से खरीद की जिसके इन्तकाल नं0 187 दिनांक 06.04.1961 से प्रार्थीगण के मौरूस शैलेन्द्र कुमार के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी हक से दर्ज किया गया। तभी से प्रार्थीगण काबिज होकर अपना एवं अपने परिवारजनों का तथा मवेशियों का पालन पोषण करते चले आ रहे है प्रार्थीगण के वली के नाम इन्तकाल संवत् 2022 से 2025 की जमाबन्दी में कॉलम संख्या 16 में अंकित किया गया है तथा उसके पश्चात् संवत 2023 से 2026 की जमाबंदी में भी आराजी नं0 2664 / 11 रकबा 03 बिस्वा किस्म मगरी प्रार्थीगण के वली के नाम राजस्व रेकार्ड से दर्ज है ठीक इसी प्रकार जमाबंदी सवंत् 2026 से 2029 मे भी उपरोक्त आराजी बहेसियत रेकार्डड खातेदार प्रार्थीगण के वली के नाम दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है:–

भूरालाल
|
|
शैलेन्द्र कुमार
|
|

आशादेवी — अंजू — अल्पना — यशवन्त — चन्द्रप्रकाश — प्रभा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

2.

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 17/2008 (2008/00050)
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

यह कि दौराने सेटलमेन्ट भू–बन्दोबस्त अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाकर शैलेन्द्र कुमार पिता भूरालाल महाजन के बजाए विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के पिता 8 के पति श्री रामकिशन पुत्र श्री देवा माली के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दी जबकि ऐसा भू–बन्दोबस्त अधिकारियों को कोई हक व अधिकार नहीं था। भूबन्दोबस्त अधिकारियों को मात्र पुरानी प्रविष्ठी की नई प्रविष्ठी में तब्दील करते हुए नई फलावट से नया रकबा कायम करना चाहिये था। तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर इन्द्राज करने का कोई अधिकार था फिर भी शैलन्द्र कुमार के बजाए रामकिशन दर्ज किया गया।

यह कि भूबन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा की गई प्रविष्टि को यदि दुरूस्त हनीं किया गया एवं प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये तो प्रार्थीगण अपनी मौरूसी आराजियात से वंचित हो जावेंगे एवं व्यर्थ के मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारी असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि असंभव है।

यह कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह कि सुविधा संतुलन एवं न्याय संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

यह कि विपक्षीगण को बजरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी पूर्ति किया जाना कदापि असंभव है।पक्षकारान के मध्य कई तरह के वाद विवाद उत्पन्न हो जावेंगें। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का मैलोनी खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नं 2664/3 मिन रकबा 11 बिस्वा वाके हल्का मेलोनी ग्राम गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीगण के मौरूस श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूरालाल रांका के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक हकूक से दर्ज थी, जिसके हाल आरजी नं0 2744 रकबा 0.1000 हे0 कायम किये गये जिसपर प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहने देवें विपक्षीगण किसी अन्य को रहन, बय , बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करें करावें तथा प्रार्थीगण के अलावा अनय किसी व्यक्ति , संस्था, सोसायटी को नियमविरूद्ध आवंटन न करें एवं न ही कब्जा हस्तानान्तरण की कार्यवही करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दि[illegible].2008 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। वि[illegible] सं[illegible] 1, 3, 5, 6, 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक[illegible] कार्यवाही आ[illegible]ती है। विपक्षी संख्या 2, 4, 8 के अधिवक्ता उपस्थित। जवाव [illegible] संख्या 1 स्वीकार की है बिन्दु संख्या 2, लगायत 10 को अस्वीकार किया एंव बिन्दु संख्या 1[illegible] [illegible]नूनी एंव बिन्दु संख्या 12 शपथ–पत्र को झूठा बताया जाकर प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र झूठा व बैरून मियाद होने से खारिज होने योग्य बता कर सपरिव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया है। पेरोकार सरकार उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 को अस्वीकार किया है एवं बिन्दु संख्या 11 व 12 को कानूनी बता कर निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा सरकारी पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्ण पारित करावें।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार हैः–

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या एक व दो उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण अपने हक से महरूम हो जायेगें, इसके मुकावले विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्राथीया के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः– चूंकि वाद वर्णित आराजियात में खातेदारी हक से प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि उक्त आराजियात विपक्षीगण अन्य को हस्तान्तररित कर देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु सावित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का मैलोनी खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नं 2664/3 मिन रकबा 11 बिस्वा वाके हल्का मेलोनी ग्राम गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीगण के मौरूस श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूरालाल रांका के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक हकूक से दर्ज थी, जिसके हाल आरजी नं0 2744 रकबा 0.1000 हे0 कायम किये गये को विपक्षीगण संख्या एक व दो मिलकर किसी अन्य को रहन, बय , बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करें करावें तथा मूलवाद के ताफैसला विपक्षीगण राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आदेश दिनांक 04.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:43 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner